अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं : रीती

सीधी विधायक ने समीक्षा बैठक में विकास कार्यों में तेजी लाने एवं शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने पर दिया जोर

नवभारत न्यूज

सीधी 6 मई। आमजन को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को गति देने तथा जनहित से जुड़े कार्यों को समयसीमा में पूर्ण कराने के उद्देश्य से विधायक सीधी श्रीमती रीती पाठक की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क निर्माण, यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण, शिक्षा एवं कानून व्यवस्था सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में विधायक श्रीमती पाठक ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए गोपालदास मंदिर एवं स्टेडियम निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने पर जोर दिया। उन्होंने शासन स्तर पर लंबित कार्यों की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका सीधी अंतर्गत मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए तथा शहर को सुंदर, स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। यातायात व्यवस्था सुधारने, अतिक्रमण हटाने, वार्डों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा नालियों को व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए गए।

विधायक ने रेलवे एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए भूमि अर्जन संबंधी प्रकरणों को समयसीमा में पूर्ण करने तथा निर्माण एजेंसियों द्वारा खोदे गए गड्ढों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए ताकि वर्षा ऋतु में किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति निर्मित न हो। बैठक में स्कूलों में कन्या शौचालयों की समुचित व्यवस्था, अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा शहर में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। विधायक श्रीमती पाठक ने कहा कि शासन की मंशानुरूप सभी विकास एवं जनहितकारी कार्यों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ पूर्ण किया जाए ताकि आमजन को योजनाओं एवं सुविधाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास राकेश शुक्ला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चंदूलाल पानिका, विभागीय ठेकेदार, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समाजसेवी उपस्थित रहे।

नशा मुक्ति अभियान चलाकर नशा में रोक लगाएं

विधायक श्रीमती पाठक ने नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत ड्रग्स एवं नशीली सिरप के परिवहन पर रोक लगाने तथा गांवों में अवैध रूप से हो रही शराब बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध रेत उत्खनन पर सख्त कार्रवाई, संजय गांधी कॉलेज परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा छात्रावासों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

गर्मी में पेयजल और विद्युत आपूर्ति सुचारू करें

गर्मी के मौसम को देखते हुए उन्होंने खराब हैण्डपंपों की तत्काल मरम्मत कर पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। जल निगम द्वारा सड़कों की खुदाई के बाद मरम्मत कार्य व्यवस्थित रूप से कराने तथा बिजली विभाग को विद्युत आपूर्ति प्रभावित न हो इसके लिए केबल एवं ट्रांसफार्मरों की जांच सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने धरती आबा एवं पीएम जनमन योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा जिन घरों तक विद्युत सुविधा नहीं पहुंच पाई है, वहां सर्वे कर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को कहा गया।

ठेकेदारों पर ब्लैकलिस्ट की हो कार्यवाही

विधायक श्रीमती पाठक ने ई-लाइब्रेरी निर्माण कार्य समयसीमा में पूर्ण करने, अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर मूलभूत सुविधायुक्त व्यवस्थित कॉलोनियों के विकास की दिशा में कार्य करने तथा समयसीमा से अधिक लंबित कार्यों के ठेकेदारों के विरुद्ध ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही शहर में अवैध होर्डिंग हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। बैठक में जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों एवं उनकी लागत की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

जनगणना कार्य में लापरवाही पर 9 चार्ज अधिकारियों को शोकाज नोटिस

नवभारत न्यूज

सीधी 6 मई। जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी विकास मिश्रा द्वारा 9 चार्ज अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि म.प्र. में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक किया जाना निर्धारित है। चार्ज स्तर पर की गई समीक्षा एवं 5 मई को पोर्टल के अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप एचएलबी (हाउस लिस्टिंग एवं बिल्डिंग) कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है जो अत्यंत खेदजनक स्थिति है। इस संबंध में प्रभात बरकड़े सीएमओ चार्ज मझौली, जयप्रकाश पाण्डेय तहसीलदार चार्ज सिहावल, साक्षी गौतम तहसीलदार चार्ज चुरहट, इंद्रभान सिंह तहसीलदार चार्ज बहरी, नारायण सिंह तहसीलदार चार्ज कुसमी, राकेश कुमार शुक्ल तहसीलदार चार्ज गोपदबनास, रामावतार पटेल सीएमओ चार्ज चुरहट नगर पंचायत, आशीष कुमार मिश्र तहसीलदार चार्ज रामपुर नैकिन एवं दिलीप सिंह तहसीलदार चार्ज मझौली को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आज ही शाम तक अनिवार्य रूप से समस्त एचएलबी क्षेत्रों में मकान सूचीकरण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्य प्रारंभ नहीं कराया जाता है तो संबंधित अधिकारी अपना प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि उनके विरुद्ध दो वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई क्यों न की जाए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश में स्पष्ट किया है कि नियत अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनगणना कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य को गंभीरता, जवाबदेही एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करें, ताकि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

लापरवाही पर संविदा शिक्षक निलंबित

कलेक्टर विकास मिश्रा ने जनगणना-2027 के कार्य में लापरवाही बरतने पर संविदा शाला शिक्षक प्रदीप कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री सिंह को तहसील गोपद बनास अंतर्गत प्रगणक ब्लॉक क्रमांक 0099 हेतु नियुक्त किया गया था लेकिन उन्होंने नियुक्ति आदेश लेने एवं जनगणना कार्य करने से इंकार कर दिया। कलेक्टर ने आदेश में उल्लेख किया है कि जनगणना कार्य राष्ट्रीय महत्व का दायित्व है तथा जनगणना अधिनियम 1948 के तहत नियुक्त प्रगणक को कार्य करना विधिक रूप से अनिवार्य है। राष्ट्रीय जनगणना कार्य को प्रभावित करने के आरोप में श्री सिंह को म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीधी नियत किया गया है।

नशे से दूर रहकर ही संभव है स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन : डॉ .राजेश

नवभारत न्यूज

सीधी 6 मई। रेडक्रॉस सोसायटी स्थापना दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय परिसर से सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग तथा रेडक्रॉस सोसायटी सीधी के संयुक्त तत्वावधान में भव्य नशा मुक्ति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा सीधी के सांसद डॉ.राजेश मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

रेडक्रॉस सोसायटी शाखा म.प्र1 के निर्देशन आयोजित इस रैली का उद्देश्य समाज विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद डॉ.राजेश मिश्रा ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखकर ही एक स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने तथा जन जागरूकता फैलाने की अपील की। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में जागरूकता संदेशों से युक्त तख्तियां एवं बैनर लेकर नशामुक्ति का संदेश दिया। नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, स्वस्थ युवा, सशक्त भारत जैसे नारों के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में रेडक्रॉस सोसायटी सीधी के सचिव कृष्णकांत द्विवेदी, सिविल सर्जन डॉ.एस.बी.खरे, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत धनंजय मिश्रा, कार्यक्रम संयोजक डॉ.मनोज सिंह परिहार, डॉ.अरविंद सोनी, संजय सोनी, सामाजिक न्याय विभाग से सीपी तिवारी, दीपक त्रिपाठी, शिवांशु शुक्ला, अरविंद शुक्ला, अमित प्रधान सहित स्वास्थ्य विभाग का समस्त स्टाफ, रेडक्रॉस सोसायटी के सदस्यगण, सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने नशामुक्त समाज निर्माण हेतु सामूहिक संकल्प भी लिया।

खड़ौरा अतरैला में लगा नि :शुल्क स्वास्थ्य शिविर

नवभारत न्यूज

सीधी 6 मई। रेडक्रास सोसायटी स्थापना दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम अंतर्गत रेडक्रास सचिव कृष्णकांत द्विवेदी के मार्गदर्शन में बीते दिनों सीधी जिले के तहसील मझौली के अंतर्गत खड़ौरा अतरैला में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और निशक्तजन, बूढ़े तथा गरीब लोगों के लिए स्वास्थ शिविर लगाया गया। जिसमें कुल 30 लोग जिसमें मातृशक्ति और पुरुष सम्मिलित हुए। नि:शुल्क जांच और दवा का

वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में डॉ.प्रवेश गुप्ता तथा उनकी टीम की भूमिका प्रमुख रही। यह आयोजन भारतीय रेडक्रास सोसाइटी शाखा सीधी उप शाखा मझौली के तारतम्य मे रखा गया था।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिखाई लोक अदालत के प्रचार रथ को हरी झंडी

नवभारत न्यूज

सीधी 6 मई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर सीधी एवं तहसील मुख्यालय चुरहट, मझौली तथा रामपुर नैकिन में 9 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

प्रधान जिला न्यायाधीश श्री दिनकर ने नेशनल लोक अदालत के समुचित प्रचार-प्रसार हेतु आज प्रचार रथ को जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ तथा पंप्लेट्स वितरण के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जावेगा। इसके साथ ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री दिनकर द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में सभी न्यायाधीशगण के साथ समीक्षा बैठक की। उक्त कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दीपक शर्मा, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ बृजेन्द्र सिंह, विशेष न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरू, द्वितीय जिला न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

तूफान ने मचाई तबाही, विद्युत आपूर्ति से जनजीवन अस्त-व्यस्त

कई पेड़ हुए धराशायी, टीन-टप्पर उड़े

नवभारत न्यूज

मझौली 6 मई। एकाएक पहुंचे तूफान ने मझौली में तबाही मचा कर रख दी। इस तूफान का वेग इतना तेज रहा कि पेड़ पौधो के साथ विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे मझौली क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति से मानव जीवन अस्त-व्यस्त रहा।

बता दें कि 5 मई की शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच आये 10 मिनट के तूफान ने मझौली क्षेत्र में तबाही मचा कर रख दिया। इस तूफान से न केवल पेड़-पौधे धरासाही हुए हैं बल्कि कई विद्युत पोल भी टूटकर नीचे गिर गए जिससे विद्युत आपूर्ति बाधिक हो गई और सारी रात लोगों को गर्मी और मच्छरों का प्रकोप झेलना पड़ा। हालांकि भले ही चाहे भारी भरकम पेड़ घरों में गिर हो पर ऊपर वाले की गनीमत रही थी कि खबर लिखे जाने तक किसी भी तरह की जन व पशु हानि की खबर नहीं है। तहसील मुख्यालय की आसपास के नुकसान पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो जनपद कार्यालय के सामने द्विवेदी

परिवार के मकान में महुए का भारी भरकम पेड़ गिर जाने से काफी नुकसानी हुई है, वही तहसीलदार मझौली दिलीप सिंह के बंगले में भी लिप्टिस एवं नियम का पेड़ गिरा लेकिन हल्का-फुल्का ही नुकसान हुआ है। वही आरईएस आफिस, कार्यालय व प्रतिष्ठानों के सीट चद्दर के टपरे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिसमें धौंहनी विधानसभा के विधि सलाहकार के ऑफिस जो की तहसील कार्यालय के ठीक सामने है क्षतिग्रस्त हुई है। तूफान से टीने चद्दर के बने टपरे अधिकांश उड़े हैं वहीं भारी भरकम पेड़ के गिर जाने से क्षेत्र के कई घर भी धरासाही हो जाने बताएं जा रहे हैं।

एसडीएम मझौली ने किया निरीक्षण

मझौली क्षेत्र में तूफान के नुकसानी का आस-पास सुबह-सुबह जायजा खुद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझौली आर.पी.त्रिपाठी लेते हुए हल्का पटवारी को निर्देशित किए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में जाकर नुकसानी का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

एक नजर में

जनगणना-2027 : जिला स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित

सीधी। कलेक्टर विकास मिश्रा ने जनगणना-2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। यह कॉल सेंटर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित रहेगा। कलेक्टर ने बताया कि जनगणना कार्य म.प्र. में 1 से 30 मई तक संपादित किया जाना है। कॉल सेंटर के माध्यम से प्रगणकों, पर्यवेक्षकों एवं आम नागरिकों को जनगणना संबंधी जानकारी एवं समस्याओं के समाधान उपलब्ध कराए जाएंगे। कॉल सेंटर का मोबाइल नंबर 9753995960 निर्धारित किया गया है।

कलेक्टोरेट परिसर में हेलमेट व आईडी अनिवार्य

सीधी। कलेक्टर विकास मिश्रा ने सड़क सुरक्षा को लेकर आदेश जारी करते हुए जिला अंतर्गत समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हेलमेट एवं आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य किया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की जान जा रही है, जिनमें अधिकांश दुर्घटनाएं यातायात नियमों की अनदेखी एवं लापरवाही के कारण होती हैं। सड़क सुरक्षा एवं जनजागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। आदेशानुसार 1 जून 2026 से दोपहिया वाहन का उपयोग करते समय आईएसआई मार्क युक्त हेलमेट एवं आईडी कार्ड पहनकर ही कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा।

बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर पटवारी निलंबित

सीधी। एसडीएम सिहावल द्वारा बिना अनुमति लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर पटवारी कमलेश कुमार गौतम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार बहरी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि कमलेश कुमार गौतम पटवारी हल्का डढ़िया एवं अतिरिक्त प्रभार पटवारी हल्का कुचवाही दिनांक 15 अप्रैल 2026 से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित हैं। दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास करने पर उनका मोबाइल फोन भी बंद पाया गया। प्रकरण को गंभीर मानते हुए संबंधित पटवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने आदेश में उल्लेख किया है कि बिना अनुमति अनुपस्थित रहना प्रथम दृष्टया कदाचार की श्रेणी में आता है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत कमलेश कुमार गौतम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बहरी नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

जनगणना कार्य से इंकार करने पर शोकाज नोटिस

सीधी। तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी जनगणना तहसील गोपद बनास द्वारा जनगणना कार्य में सहयोग न करने पर एक प्रगणक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जारी सूचना के अनुसार भारत की राष्ट्रीय जनगणना-2027 अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य के लिए अजय मिश्रा उच्च माध्य. शिक्षक शासकीय हाईस्कूल उपनी को मकान सूचीकरण ब्लॉक क्र. 0060 बौड़हा हेतु प्रगणक नियुक्त किया गया था। आरोप है कि संबंधित कर्मचारी द्वारा जनगणना कार्य करने से इंकार किया गया, जिससे राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य के प्रभावित होने की स्थिति निर्मित हुई। सूचना पत्र में उल्लेख किया गया है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 5 एवं 11 अंतर्गत जनगणना कार्य में सहयोग करना विधिक दायित्व है तथा इससे इंकार करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। संबंधित कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई कि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने अथवा निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन 9 को

सीधी 6 मई। जिले के दुआरी, कोचिटा, उमरिहा एवं खुटेली में आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से 9 मई को विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक जिले की विभिन्न विस क्षेत्रों की चयनित ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

बस स्टैण्ड एवं निर्धारित स्थानों में ही खड़ी करें बस : विकास

चुरहट बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसडीएम ने ली सामूहिक बैठक, पुराने बस स्टैण्ड में नहीं खड़ी होंगी बसें, सब्जी के लिए नया स्थान

नवभारत न्यूज

चुरहट 6 मई। चुरहट नगर परिषद में ट्रैफिक जाम की स्थिति आए दिनों बनी रहती हैं जिसके वजह से विवाद होता रहता हैं। आए दिनों जाम में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या किसी को ऑफिस पहुंचना है तो समय पर जाम की वजह से नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ अन्य लोग भी समय पर कोई कार्य नहीं कर पाते हैं।

इन सभी बिंदुओं को लेकर मंगलवार की शाम को 6 बजे नगर परिषद कार्यालय में बैठक बुलाई गई। जिसमें एसडीएम चुरहट

विकास कुमार आनंद, तहसीलदार साक्षी गौतम, अध्यक्ष मोनिका विजय गुप्ता, उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय, थाना प्रभारी दीपक बघेल, सीएमओ रामावतार पटेल सहित नगर के गणमान्य नागरिक, व्यापारियों सहित पत्रकारों की उपस्थिति रही। बैठक में अपनी राय बताने के लिए सभी को पर्याप्त समय दिया गया। सभी लोगों द्वारा अपना सुझाव दिया गया ताकि आम सहमति से इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हो सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सब्जी मंडी हेतु थाने के पास स्थान निश्चित किया गया। उक्त स्थान पर सभी सब्जी व्यापारियों को सब्जी की दुकानें लगाना होगा, अन्यत्र सब्जी की दुकानें लगाए पाए जाने पर कार्यवाही होगी। न्यू बस स्टैण्ड को सुचारू रूप चालू करने, नाली के बाहर अतिक्रमण हटाने, कचड़े को खुले में न फेंककर डस्टबिन का उपयोग करे। सूखा व गीला कचड़े को अलग-अलग डस्टबिन में डालने का आपसी सहमति के आधार पर निर्णय लिया गया।

बैठक के दौरान एसडीएम विकास आनंद द्वारा कहा गया कि किसी प्रकार के सवारी वाले वाहन पुराने बस स्टैण्ड में नहीं खड़ा करेंगे। सभी वाहनों का मुख्य स्थान न्यू बस स्टैण्ड होगा। इसके अलावा दो अस्थाई स्टैण्ड बनाए गए हैं जिसमें तहसील कार्यालय, थाना तिराहा शामिल होगा। इसके अलावा वाहनों के अन्य स्थान में खड़ा होने पर चालानी कार्यवाही होगी। ऑटो वाले नंबर के आधार पर एक-एक करके अपने रूट पर सवारी को उतारते-चढ़ाते हुए निश्चित स्थान आए जाएंगे पर खड़े नहीं होंगे। इसके अलावा अगर कहीं पर खड़ा पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। नाली के बाहर किसी भी प्रकार का कोई भी दुकान या सामान नहीं रखा जाएगा, बाजार में सब्जी मंडी नहीं लगेगी जहां पर स्थान निश्चित किया जाएगा वहीं पर सब्जी की दुकान लगाई जाएगी अन्यथा कार्यवाही होगी। कोई भी दुकानदार अपने दुकान के सामने किसी भी तरह की दुकान या सवारी वाहनों को नहीं खड़ा करायेंगे अन्यथा उक्त दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही होगी, रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक सवारी वाहन कहीं पर सवारी उतार चढ़ा सकते हैं। मॉल वाहनों को रात्रि 8 बजे से सुबह 10 बजे तक का समय दिया गया है। बैठक के दौरान एसडीएम विकास आनंद द्वारा सीएमओ नगर परिषद को यह भी निर्देश दिया की 15 जून से पहले सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए। कचड़े के वाहन रात्रि के समय बाजार से कचड़े का उठाव करना सुनिश्चित करेंगे।

नाली से अतिक्रमण हटाने 7 दिवस का अल्टीमेटम

बैठक में एसडीएम चुरहट विकास कुमार आनंद द्वारा व्यापारियों को सात दिवस का समय देते हुए कहा गया कि सभी दुकानदार नाली से अतिक्रमण हटा व प्लास्टिक थैले की जगह पर कपड़े के थैले का उपयोग करें ताकि बरसात में नालियां जाम न हो। प्लास्टिक किसी तरह से सड़ता गलता नहीं हैं जिससे नाली अवरूद्ध हो जाती हैं। इसके अलावा बुधवार से किसी तरह के सवारी वाहन पुराने बस स्टैण्ड में खड़ा नहीं करेंगे। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में इनकी रही उपस्थिति

उक्त बैठक में कमलेश्वर सिंह महामंत्री कांग्रेस, रतिभान पटेल विधायक प्रतिनिधि, अफजल खां पार्षद, सूर्यभान पटेल पार्षद, प्रफुल्ल गुप्ता सब इंजीनियर, विनोद द्विवेदी पटवारी, दीपक तिवारी पटवारी, विजय गुप्ता समाजसेवी, सुखनंदन सोनी, बसंत लाल गुप्ता वैश्य समाज, अरुण पाण्डेय अध्यक्ष बस यूनियन, संतोष सोनी पप्पू, जगदीश गुप्ता, प्रीत सिंह, विपिन पाण्डेय, ओम प्रकाश गुप्ता, ज्ञानू सिंह, रघुनंदन पटेल, अमर बहादुर सिंह, मोहम्मद मोनू, कल्लू पाल, दशरथ गुप्ता सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही।